

13.6.25 वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने
पर न्यायदित में पत्रावली पेशी के लीगरी

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्रा / ~~नोट प्रेस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो। वादीगण नए सिरे से वाद
पेश करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे।

५५